


Sewer death: NHRC, govt agencies urged to take action

New Delhi: Following the death of a sanitation worker and the hospitalisation of two others in a sewer-cleaning incident in New Friends Colony, Sunil Kumar Aledia, executive director of the Centre for Holistic Development (CHD), has written to the National Human Rights Commission (NHRC). the National Commission for Safai Karamcharis, and the minister, DJB demanding accountability and strict action. The letter cites a recent report that :as on 31.07.2024, out of 766 districts in the country, 732 districts have reported themselves as manual scavenging".

The letter highlights the continued violations of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and Their Rehabilitation Act, 2013, and the Supreme Court's 2023 directive banning manual sewer cleaning. Aledia s tressed the need for a thorough investigation into the role of private contractors and DJB officials in the incident. The letter also urged authorities to ensure compliance with safety protocols. "Getting unsafe cleaning done is a legal offense. Accountability must be fixed to prevent further tragedies," Aledia stated. TNN







दिल्ली पुलिस की याचिका पर हाईकोर्ट का एनएचआरसी को नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा दायर याचिका पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को नोटिस जारी किया है। याचिका में हत्या के आरोपी व्यक्ति की गलत गिरफ्तारी के लिए एनएचआरसी द्वारा दिए गए मुआवजे को चुनौती दी गई है। मामला सतीश बाबू नाम के बुजुर्ग की हत्या से जुड़ा है। बुजुर्ग की हत्या के आरोप में चार व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में ट्रायल कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया गया था। इसी दौरान आरोपी नसीम के भाई ने एनएचआरसी से संपर्क किया और दावा किया कि उसके भाई को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने अपने भाई की रिहाई और कथित गलत हिरासत और गिरफ्तारी के लिए मुआवजे की मांग की। ट्रायल कोर्ट ने अपर्याप्त सबूतों के कारण सभी आरोपियों को बरी कर दिया और एसएचओ व एसीपी सहित जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया। जांच करने के बाद, एनएचआरसी ने दिल्ली पुलिस को गलत तरीके से गिरफ्तार किए गए और चार्जशीट किए गए व्यक्ति को मुआवजे के रूप में एक लाख रुपये देने का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस के अयुक्त ने इस सिफारिश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने एनएचआरसी और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर उन्हें याचिका का जवाव देने का निर्देश दिया। व्यूरो



Page No. 10, Size:(37.89)cms X (11.01)cms.

मुआवजे के निर्देश को लेकर हाईकोर्ट ने एनएचआरसी को जारी किया

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली पुलिस पर लगाया था आरोप, गलत गिरफ्तारी करने के मामले में एक लाख रूपये मुआवजे की घोषणा की थी

एजेंसी नई दिल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा दायर याचिका पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को नोटिस जारी किया है। याचिका में हत्या के आरोपी व्यक्ति की गलत गिरफ्तारी के लिए एनएचआरसी द्वारा दिए गए मुआवजे को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने साथ ही शिकायतकर्ता को भी याचिका का जवाब देने का निर्टेश दिया है।

सीनियर सिटीजन की हत्या में पकड़े गए थे चार आरोपी

दरअसल, यह मामला एक विरष्ठ नागरिक सतीश बाबू गुप्ता की हत्या के इर्द-गिर्द घूमता है, जो कई चोटों के साथ अपने घर पर पाया गया था। उसका शव उसके बिस्तर पर पड़ा मिला था, उसके पैर बंधे हुए थे और लटके हुए थे। जांच के बाद, पुलिस ने हत्या और डकैती में शामिल होने के संदेह में चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, बाद में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष आरोप पत्र दायर किया।

ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपियों को किया था बरी

आरोपियों में से एक नसीम के भाई ने एनएचआरसी से संपर्क किया और दावा किया कि उसके भाई को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने अपने भाई की रिहाई और कथित गलत हिरासत और गिरफ्तारी के लिए मुआवजे की मांग की। एनएचआरसी की कार्यवाही के दौरान, ट्रायल कोर्ट ने अपर्याप्त सबूतों के कारण सभी आरोपियों को बरी कर दिया और एसएचओ और एसीपी सहित जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया। जांच करने के बाद, एनएचआरसी ने दिल्ली पुलिस को गलत तरीके से गिरफ्तार किए गए और आरोप-पत्र दायर किए गए व्यक्ति को मुआवजे के रूप में 1,00,000 रुपये का भगतान करने का आदेश दिया।

एनएचआरसी की सिफारिश को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती, शिकायतकर्ता को भी देना होगा जवाब

दिल्ली पुलिस के आयुक्त ने इस सिफारिश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। आयुक्त का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्र सरकार के स्थायी वकील, एडवोकेट आशीष दीक्षित ने तर्क दिया कि पुलिस जांच कानूनी रूप से की गई थी और निष्कर्ष निकाला कि आरोपी अपराध में शामिल थे। एडवोकेट दीक्षित ने तर्क दिया कि अदालत द्वारा आरोपियों को बरी करने से जांच में दुर्भावनापूर्ण इरादे या गुप्त उद्देश्यों का संकेत नहीं मिलता है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि पुलिस ने अपनी वैधानिक शक्तियों के भीतर काम किया, जिससे एनएचआरसी का मुआवजा आदेश कानूनी रूप से निराधार हो गया।



Cops challenge NHRC order over compensation for wrongful arrest

EXPRESS NEWS SERVICE @ New Delhi

THE Delhi High Court has sought a response from the National Human Rights Commission (NHRC) on a plea by the Commissioner of Delhi Police, contesting the compensation awarded for an alleged wrongful arrest in a murder case.

The case stems from the brutal killing of Satish Babu Gupta, a senior citizen whose body was discovered in his home in a harrowing condition – his legs bound and left hanging off the bed, bearing multiple injuries. The crime triggered a rigorous police probe, leading to the arrest of four individuals accused of murder and dacoity. The police subsequently filed a chargesheet against them before the Additional Sessions Judge.

However, the case took a dramatic turn when Naseem, the brother of one of the accused, pleaded before the NHRC asserting that his sibling had been falsely implicated. He de-

HC seeks reply from rights panel Delhi Police contended that mere

discharge of the accused did not automatically imply malicious or improper intent behind police action. The compensation order lacked a legal basis, as police had acted within their statutory authority while handling the case, police counsel said. Taking note of the plea, the court issued notices to NHRC and the original complainant, seeking their responses.

manded both his brother's release and financial compensation for what he described as an unlawful arrest and detention.

The matter escalated further when the trial court discharged all the accused due to a lack of conclusive evidence. The court also recommended departmental action against investigating officers, including the Station House Officer and the Assistant Commissioner of Police.

Taking cognizance of the issue, the NHRC conducted an independent inquiry and subsequently directed Delhi Police to compensate the wrongfully arrested individual with ₹1 lakh. This directive, however, did not sit well with the city's top cop, prompting the Commissioner to challenge the NHRC's order.

Representing the Delhi Police, Centre's standing counsel Advocate Ashish Dixit argued that the investigation had been carried out in accordance with law and based on the evidence available at the time.

He emphasised that the mere discharge of the accused did not automatically imply malicious or improper intent behind the police action.

Dixit contended that the compensation order lacked a legal basis, as police had acted within their statutory authority while handling the case.

He urged the court to quash the NHRC recommendation, asserting that law enforcement cannot be penalised for investigative outcomes.



Times of India

Sewer death: NHRC, govt agencies urged to take action

https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/sewer-death-nhrc-govt-agencies-urged-to-take-action/articleshow/119223105.cms

New Delhi: Following the death of a sanitation worker and the hospitalisation of two others in a sewer-cleaning incident in New Friends Colony, Sunil Kumar Aledia, executive director of the Centre for Holistic Development (CHD), has written to the National Human Rights Commission (NHRC), the National Commission for Safai Karamcharis, and the minister, DJB demanding accountability and strict action. The letter cites a recent report that :as on 31.07.2024, out of 766 districts in the country, 732 districts have reported themselves as manual scavenging".

The letter highlights the continued violations of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and Their Rehabilitation Act, 2013, and the Supreme Court's 2023 directive banning manual sewer cleaning. Aledia s tressed the need for a thorough investigation into the role of private contractors and DJB officials in the incident. The letter also urged authorities to ensure compliance with safety protocols. "Getting unsafe cleaning done is a legal offense. Accountability must be fixed to prevent further tragedies," Aledia stated. TNN



New Indian Express

'Custody death' fuels tension in Odisha's Sambalpur

https://www.newindianexpress.com/states/odisha/2025/Mar/19/custody-death-fuels-tension-in-odishas-sambalpur

On Monday, Sheikh's medical examination was carried out at Hirakud community health centre before his production in court.

SAMBALPUR: The death of a 27-year-old man allegedly due to excesses in custody of Hirakud police on Monday sparked massive outrage and tension in Sambalpur town.

Blaming custodial torture for the death of Kadir Md Sheikh of Christianpada who was arrested by Hirakud police on charge of theft, irate locals staged a protest and demanded strict action against the officers involved in the incident. However, police claimed the accused died while being produced in the court.

Sources said on Sunday evening, Sheikh was handed over to police by locals after he was caught stealing from the godown of one Dillip Pradhan. The accused was arrested and a case was registered against him under sections 331 (4) and 305 of the BNS. On Monday, Sheikh's medical examination was carried out at Hirakud community health centre before his production in court.

However, on reaching the SDJM court, the accused reportedly felt uneasy and became unconscious. Sheikh was rushed to Sambalpur district headquarters hospital and later shifted to VIMSAR, Burla where he was declared dead by doctors.

As the news of Sheikh's death spread, residents of Christianpada gheraoed Hirakud police station alleging custodial torture. Though police tried to hold discussion, the irate mob refused to call off their agitation and the chaos continued till late in the night.

On Tuesday, human rights activist Jayant Das lodged a complaint with the National Human Rights Commission (NHRC) claiming that the case involves serious violations of fundamental rights, police misconduct and non-compliance with legal procedures.

Das further claimed that instead of releasing Sheikh on bail after serving a notice under section 35 of BNSS as required for offences punishable with less than seven years of imprisonment, police illegally detained him overnight.

However, police refuted the allegations. Sambalpur SP Mukesh Bhamoo said Sheikh was declared fit by the medical officer at Hirakud CHC before being produced in court. He has not been subjected to any torture in police custody. A DSP-ranked officer has been appointed to investigate the incident.

IG, Northern Range Himanshu Lal said a case of unnatural death has been registered in this connection. All procedures are being followed as per the guidelines of NHRC.

NEW INDIAN EXPRESS, Online, 20.3.2025

Page No. 0, Size:()cms X ()cms.

Meanwhile, a delegation of Congress leaders visited the house of the deceased and met senior police officers demanding impartial investigation into the incident.



Punjab Kesari

दिल्ली पुलिस की याचिका पर NHRC को हाईकोर्ट का नोटिस

https://www.punjabkesari.com/delhi-ncr/delhi-hc-issues-notice-to-police-plea-on-nhrc-compensation-order

NHRC के मुआवज़ा आदेश पर दिल्ली पुलिस की याचिका पर हाईकोर्ट का नोटिस

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा दायर याचिका पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को नोटिस जारी किया है। याचिका में हत्या के आरोपी व्यक्ति की गलत तरीके से गिरफ़्तारी के लिए एनएचआरसी द्वारा दिए गए मुआवज़े को चुनौती दी गई है। यह मामला एक विरष्ठ नागरिक, सतीश बाबू गुप्ता की हत्या के इर्द-गिर्द घूमता है, जो कई चोटों के साथ अपने घर पर पाया गया था। उसका शव उसके बिस्तर पर पड़ा मिला था, उसके पैर बंधे हुए थे और लटके हुए थे। जांच के बाद, पुलिस ने हत्या और डकैती में शामिल होने के संदेह में चार व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया, बाद में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष आरोप पत्र दायर किया।

हालांकि, एक आरोपी, नसीम के भाई ने एनएचआरसी से संपर्क किया और दावा किया कि उसके भाई को गलत तरीके से गिरफ़्तार किया गया था। उसने अपने भाई की रिहाई और कथित गलत तरीके से हिरासत और गिरफ़्तारी के लिए मुआवज़ा दोनों की मांग की। एनएचआरसी की कार्यवाही के दौरान, ट्रायल कोर्ट ने अपर्याप्त साक्ष्य के कारण सभी आरोपियों को बरी कर दिया और एसएचओ और एसीपी सहित जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया। जांच करने के बाद, एनएचआरसी ने दिल्ली पुलिस को गलत तरीके से गिरफ्तार किए गए और चार्जशीट किए गए व्यक्ति को मुआवजे के रूप में 1,00,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।

दिल्ली पुलिस के आयुक्त ने इस सिफारिश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी। आयुक्त का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्र सरकार के स्थायी वकील, अधिवक्ता आशीष दीक्षित ने तर्क दिया कि पुलिस जांच कानूनी रूप से की गई थी और निष्कर्ष निकाला कि आरोपी अपराध में शामिल थे। अधिवक्ता दीक्षित ने तर्क दिया कि न्यायालय द्वारा आरोपियों को बरी करने से जांच में दुर्भावनापूर्ण इरादे या गुप्त उद्देश्य का संकेत नहीं मिलता है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि पुलिस ने अपनी वैधानिक शक्तियों के भीतर काम किया, जिससे एनएचआरसी का मुआवजा आदेश कानूनी रूप से निराधार हो गया। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने एनएचआरसी और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर उन्हें याचिका का जवाब देने का निर्देश दिया।



Janta se Rishta

दिल्ली HC ने NHRC के मुआवजा आदेश को चुनौती देने वाली पुलिस की याचिका पर नोटिस किया जारी

https://jantaserishta.com/delhi-ncr/delhi-hc-issues-notice-on-police-plea-challenging-nhrc-compensation-order-3899648

New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा दायर याचिका पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को नोटिस जारी किया है। याचिका में हत्या के आरोपी व्यक्ति की गलत गिरफ्तारी के लिए एनएचआरसी द्वारा दिए गए मुआवजे को चुनौती दी गई है। मामला एक विरष्ठ नागरिक सतीश बाबू गुप्ता की हत्या के इर्द-गिर्द घूमता है, जो अपने आवास पर कई चोटों के साथ पाया गया था। उनका शव उनके बिस्तर पर पड़ा मिला था, उनके पैर बंधे हुए थे और लटक रहे थे। जांच के बाद, पुलिस ने हत्या और डकैती में शामिल होने के संदेह में चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, बाद में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष आरोप पत्र दायर किया। हालांकि, एक आरोपी नसीम के भाई ने एनएचआरसी से संपर्क किया और दावा किया कि उसके भाई को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने अपने भाई की रिहाई और कथित गलत हिरासत और गिरफ्तारी के लिए मुआवजे की मांग की।

जांच करने के बाद, NHRC ने दिल्ली पुलिस को गलत तरीके से गिरफ्तार किए गए और चार्जशीट किए गए व्यक्ति को मुआवजे के रूप में 1,00,000 रुपये देने का आदेश दिया । दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने इस सिफारिश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी ।

किमश्नर का प्रतिनिधित्व कर रहे केंद्र सरकार के स्थायी वकील एडवोकेट आशीष दीक्षित ने तर्क दिया कि पुलिस जांच कानूनी रूप से की गई थी और निष्कर्ष निकाला कि आरोपी अपराध में शामिल थे। एडवोकेट दीक्षित ने तर्क दिया कि अदालत द्वारा आरोपियों को बरी करने का मतलब जांच में दुर्भावनापूर्ण इरादे या गुप्त इरादे नहीं हैं। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि पुलिस ने अपनी वैधानिक शक्तियों के भीतर काम किया, जिससे NHRC का मुआवजा आदेश कानूनी रूप से निराधार है। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने NHRC और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर उन्हें याचिका का जवाब देने का निर्देश दिया।